

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर य  
अहकाम जो  
हुकम की  
में जारी

24/8/21

वकील प्रार्थी/अप्राथी/उभयपक्ष उपस्थित  
पत्रावली पूर्व सापेक्षानुसार दि. 1.12.21  
को पेश हो। ✓

12/2

पत्रावली प्रशासन गांव को संग अभियान  
2021 के एच.के.ए. में दिनांक 10/12/21  
को पेश हो। ✓

10/12/21

पत्रावली आज प्रशासन गांव को संग अभियान-2021  
में केम्प ग्राम पंचायत दुगारी  
में पेश हुई। पत्रावली दिनांक 24/03/21  
को पेश हो। ✓

24/3/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकरान उपस्थित है।  
पीछली अधिकारी महोदय बॉरे/अप्राथी/अन्य  
राजकार्य में तत्पर रखते हैं। पत्रावली दि. 7/7/22  
को पेश हो। ✓

7/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकरान उपस्थित है।  
पीछली अधिकारी महोदय बॉरे/अप्राथी/अन्य  
राजकार्य में तत्पर रखते हैं। पत्रावली दि. 18/10/22  
को पेश हो। ✓

18/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकरान उपस्थित  
है। बटल प्राप्त ग.प. सुनी गई। पत्रावली  
वास्ते आदेश दिनांक 28/10/22 को  
पेश हो। ✓

28/10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पद्मकरान  
उपस्थित है। बटल प्रार्थना पत्र ग.प. में  
वकील प्रार्थी एवं वकील अप्राथी ने  
अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना  
पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।  
पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेजों  
का अवलोकन किया। विवादित  
आराजी खलशू सं. 1125 एवं खलशू  
संख्या 1114 वाले ग्राम दुगारी वर्तमान

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

में सिवायंचरु दर्ज रिहाई है। प्रथम दृष्टया  
श्रीम सिवायंचरु होने से प्रार्थीगण एवं  
आपार्थी से। में से किसी का भी कानून  
आधिकार इस शीम पर नहीं होने से  
प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में  
साबित नहीं होता है। पक्षकारान में से  
किसी के श्री नाग विवाहित आराजी दर्ज  
नहीं होने के कारण सुविधा सन्तुलन  
एवं अपूर्णनीय शक्ति का बिन्दु श्री किसी  
पक्ष के तरफ साबित नहीं होता है।

अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन  
एवं अपूर्णनीय शक्ति के बिन्दु प्रार्थीगण  
के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण  
अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रस्तावना पत्र  
द्वारा 212 RA Act का खारिज किया  
जाता है निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील  
मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)

11.22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आज पेश  
हुई। पत्रावली में दिनांक 28.10.22  
को निर्णय किया जा चुका है। पत्रावली में अन्य  
कोई कार्यवाही रोज नहीं रही है। पत्रावली दाखिल  
दफ्तर हो।

सदस्य  
तालुका विधिक सेवा समिति

आयुक्त  
तालुका विधिक सेवा समिति